पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 214/2025

अनवान :

1. धर्मवीर पुत्र रणसिह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. रणसिंह पुत्र केशूराम जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र रणसिह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. पृथ्वीसिंह पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रभूराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के जमाबंदी संवत 2073—76 के खाता संख्या 82/90 के खसरा संख्या 131/2 की 1.1640 है0 तथा रोही मौजा भनाई के जमाबंदी संवत 2074—77 के खाता संख्या 262/244 के खसरा संख्या 8 की 2.6430 है0 वादभूमि मे प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा अनूपशहर के जमाबंदी संवत 2075—78 के खाता संख्या 325/328 के खसरा संख्या 730 की 3.0350 है0 व खसरा संख्या 730/2 के 1.518 है0 कुल खसरा 2 की 4.553 है0 बारानी वादभूमि मे प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह अकेले की बजाय वादी धर्मवीर एवं प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार, प्रतिवादी सं0 3 पृथ्वीसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:46:41 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़